

पायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, गडरारोड

अर्न्तगत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956

तज्ज्व प्रकरण सं.

सायल

राजस्थान सरकार

जरिये पटवारी हल्का इन्द्राज

खनाम

श्री उरखान

श्री सुपतमा

तहसील गडरारोड जिला

गैर सायल

पुत्र श्री कृष्ण

निवासी उजरोड

बाइमेर

"निर्णय"

दिनांक 18/07/19

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैर सायल उपस्थिति। पत्रावली का हयने अखलोकन किया संक्षिप्त में तद्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का इन्द्राज ने धारा आर. एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि गै. सा. ने मौका उजरोड के खसरा नं. 108 रकबा 88.06 बीघा में से 6 बीघा बीघा किस्म खेसुधोय राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन कराने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान दर रुपये 0-18 पैसा गुणा जुर्माना राशि रुपये पूर्णांक में 1 रुपये 50 अक्षरे रु. 4000.15 मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो। निरीक्षक भू.अ. वृत इन्द्राज को आदेशित किया जाता है कि यह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल निलामी फर्द वास्तो अनुमादनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश कर। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भैतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जायें।

निर्णय दिनांक 18/07/19 को सरेआम सुनाया गया।

[Signature]
तहसीलदार गडरारोड

जुमाना 50 फसल नि. 700
कुल योग 750 राजि. के पृष्ठ सं. 3/
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

[Signature]
तहसील सुजरीस लेखाकार

तहसीलदार गडरारोड
जिला-बाइमेर